

FORM-II

(For projects other than linear projects)
Government of H.P.
Office of the District Collector

No. SML-SR-(57)/2020-711-14

Dated: 12-11-2020

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **00-09-34 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of M/S Bushahr Laghu Udyog Prop Smt. Kanegtu Devi for installation of Stone Crusher at Pashada (proposed for diversion of forest land) in Shimla District falls within jurisdiction of Mauja Pashada, Tehsil Rampur, District Shimla, Himachal Pradesh.

It is further certified that:-

(g) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **00-09-34 Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Sub-Division Level Committee(S) and the District Level Committee are enclosed as annexure -A to annexure B.

(h) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication. In vernacular/Local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under FRA.

Each of concerned Gram Sabha (s) has certified that all formalities/process under FRA have been carried out and they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion.

The discussion and decision on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.

(k) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(l) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre Agriculture Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of FRA.



(Aditya Negi)
District Collector,
Shimla District (H.P.)

9/3

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA
DISTRICT SHIMLA, HIMACHAL PRADESH**

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act, 2006.

A meeting of the District Level Committee of Shimla District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/Chairpersonship of Shri Aditya Negi, IAS, Deputy Commissioner, Shimla on 6-11-2020 at 11.30 AM in which the application(s) of applicants of Gram Sabha Pashada claiming rights in village forest area(s) **00-09-34 Hectares** under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee, Rampur were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim(s) of following applicant(s) were found to be in order hence admitted:-

Sr. No.	Name of applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
----Nil---			

Claim(s) of the following applicant(s) were not found in order and hence rejected:-

Sr. No.	Name of applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
----Nil---			

As informed by SDO(Civil), Rampur no application was received from Gram Sabha Pashada claiming right in **00-09-34 Hectares** forest area.

Place: Shimla

Date:

**Deputy Commissioner-cum-Chairman,
District Level Forest Rights Committee,
Shimla**

9	Construction of Bus Stand Takdech, Sub-Tehsil Takdech, District Shimla.
10	Construction of Bus Stand Nankhari, Tehsil Nankhari, District Shimla.
11.	Construction of mining site for Laghu Udyog, Village & P.O. Jhakri, Tehsil Rampur.
12.	Setting up of Battalion of NDRF at Dakolar (Rampur), Tehsil Rampur, District Shimla.
13.	Construction of Tehsil Office-cum-residential colony at Nankhari, Tehsil Nankhari, District Shimla.
14.	Construction of road from PHC Bahli Kainchi to Nagadhar, Tehsil Rampur, District Shimla.
15.	Installation of Stone Crusher at Pashada, Tehsil Rampur, District Shimla.
16.	Construction of storage Dam on Giri River at Sainj, Tehsil Theog, District Shimla.
17.	Construction of link road to village Nadhal, Gram Panchayat Kuddu, Sub-Tehsil Saraswati Nagar, District Shimla.
18.	Construction of 220 KV D/C Transmission line from 66 KV/132KV/220KV Pooling Station Sunda (at Chirgaon) to 220 KV Switching Station Hatkoti, District Shimla.
19.	Construction of Kupar Kohlara Micro Hydel Project, Tehsil Jubbal, District Shimla.
20.	Construction of road from Dhangrigar Kandola to Bangsar, Tehsil Chirgaon, District Shimla.

All the cases were considered by the committee and after discussion, cases at Sr. No. 1 to 15 and 17 to 20 were approved to issue FRA Certificate for processing cases under Forest Conservation Act, 1980.

In case of proposal at Sr. No. 16 regarding construction of storage Dam on Giri River at Sainj, it was decided that the case will be discussed in the presence of representative of IPH Department in the next meeting.

The meeting ended with vote of thanks to and from the chair.

**Deputy Commissioner-cum-Chairman,
District Level Forest Rights Committee,
Shimla, District Shimla, H.P.**

11

(A)

OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL OFFICER (CIVIL), RAMPUR,
DISTT. SHIMLA, HIMACHAL PRADESH

Proceeding of the meeting of the Sub-Divisional Level Committee constituted under Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act, 2006.

A meeting of the Sub-Divisional Level Committee of Rampur Sub-Division constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Sh. Surender Mohan, HPAS, Sub-Divisional Officer (C), Rampur, Distt. Shimla, H.P. on 22-08-2020 at 11:00 AM at Rampur; in which the application of the applicant of Bushahr Laghu Udyog for diversion of forest land area measuring 00-09-34 hect. at Pashada of land in Forest Division Rampur for installation of Stone crusher at Pashada Tehsil Rampur District Shimla under FRA 2006 duly processed and recommended by the Forest Right Committee Pashada was discussed and consider the same and forwarded with recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detail discussion the application of the applicant were found to be in order and recommended for admission to District Level Committee.

Place :- Rampur
Dated :- 22-08-2020

(Signature)
SDO & Cum-Chariman,
Sub-Divisional Level Committee

12

उप-मण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 22-08-2020 की कार्यवाही

आज दिनांक 22-08-2020 को श्री सुरेंद्र मोहन (हि0प्र0से0) उप-मंडलाधिकारी (ना0) रामपुर की अध्यक्षता में Schedule Tribes & others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act FRA 2006 के अंतर्गत उप-मंडल स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक हुई बैठक में निम्नलिखित सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया

1. श्री देवा चन्द नेगी नायब तहसीलदार रामपुर।
2. श्री चन्द्रप्रकाश सहायक अभियंता रामपुर।
3. श्री बृज लाल सहायक अभियंता ननखड़ी।
4. श्री विपन कुमार वन खण्ड अधिकारी नोगली।
5. श्रीमति विशना भंडारी गाँव व डा. झाकड़ी तहसील रामपुर। (गैर सरकारी सदस्या)
6. श्रीमति रजनी शर्मा गाँव बड़ो गो डा. व तहसील कुमारसैन। (गैर सरकारी सदस्या)
7. श्री चेशवर बुशेहर लघु उद्योग झाकड़ी।

सर्व प्रथम अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित हुए सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों का बैठक में उपस्थित होने पर स्वागत किया, तदोपरान्त बैठक में निम्न मदों पर चर्चा की गई।

मद संख्या -1 NDRF बटालियन की स्थापना के लिए प्रस्तावित भूमि खसरा नंबर 2752/1 रक्बा तादादी 04-52-46 हेक्टर कब्जा स्वयं तावे हकूक मुताविक नक्शा वर्तन वर्तनदारान मुताविक नक्शा वर्तन मौजा शिंगला दर्ज मालकागजात है प्रस्तावित भूमि के लिए वन अधिकार समिति/नगरपरिषद ने प्रस्ताव संख्या 238/10 दिनांक 03-07-2020 के माध्यम से सहमति दी है। जिसमें वन अधिकार समिति रामपुर ने सहमति प्रकट करते हुए वन अधिकार

अनापति प्रमाण पत्र जारी किया है। वन विभाग के प्रतिनिधि की कोई आपति नहीं है यह भूमि जनहित के लिए आवश्यक रूप से अर्जित होनी है। उपरोक्त जमीन पर वन अधिकार सम्बंधित दावा लंबित नहीं है अतः इस मामले को संस्तुति सहित जिला वन अधिकार समिति को भेजना उचित है।

मद संख्या -2

तहसील ननखड़ी के भवन व आवासीय कालोनी निर्माण के लिए मलकीयत सरकार कब्जा ताबे हकूक वर्तन वर्तनदारन मौजा DPF भोरजा में खसरा नंबर 8/1 तादादी रकबा 00-18-00 हेक्टेयर प्रस्तावित भूमि के लिए ग्राम पंचायत थाना-ननखड़ी ने प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 02-10-2018 के माध्यम से सहमति दी है। जिसमें वन अधिकार थाना-ननखड़ी ने सहमति प्रकट करते हुए वन अधिकार अनापति प्रमाण पत्र जारी किया है। वन विभाग के प्रतिनिधि की कोई आपति नहीं है यह भूमि जनहित के लिए आवश्यक रूप से अर्जित होनी है उपरोक्त जमीन पर वन अधिकार सम्बंधित दावा लंबित नहीं है अतः इस मामले को संस्तुति सहित जिला वन अधिकार समिति को भेजना उचित है।

मद संख्या -3

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC) नैहरा से नागाधार सड़क के लिए मलकीयत सरकार कब्जा ताबे हकूक वर्तन वर्तनदारन मौजा नैहरा में तादादी रकबा 01-52-76 हेक्टेयर व मौजा DPF थेड़ा में तादादी रकबा 00-01-71 हेक्टर प्रस्तावित भूमि के लिए ग्राम पंचायत/ वन अधिकार समिति नैहरा तथा चौका में क्रमशः प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 14-01-2018 व प्रस्ताव संख्या 07 दिनांक 05-06-2020 के माध्यम से सहमति दी है। जिसमें वन अधिकार नैहरा व चौका ने सहमति प्रकट करते हुए वन अधिकार अनापति प्रमाण पत्र जारी किया है। वन विभाग के प्रतिनिधि की कोई आपति नहीं है यह भूमि जनहित के लिए आवश्यक रूप से अर्जित होनी है उपरोक्त जमीन पर वन अधिकार सम्बंधित दावा लंबित नहीं है अतः इस मामले को संस्तुति सहित जिला वन अधिकार समिति को भेजना उचित है।

3

भद संख्या 4 बुशहर लघु उद्योग द्वारा स्टोन केशर के निर्माण के लिए मलकीयत सरकार कब्जा ताबे हकूक वर्तन वर्तनदारन मौजा पशाडा में कित्ता 2 तादादी रकवा 00-09-34 हेक्टेयर प्रस्तावित भूमि के लिए ग्राम पंचायत/ वन अधिकार समिति रचोली ने प्रस्ताव संख्या 14 दिनांक 27-01-2019 के माध्यम से सहमति दी है। जिसमें वन अधिकार रचोली ने सहमति प्रकट करते हुए वन अधिकार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया है। वन विभाग के प्रतिनिधि की कोई आपत्ति नहीं है यह भूमि जनहित के लिए आवश्यक रूप से अर्जित होनी है उपरोक्त जमीन पर वन अधिकार सम्बंधित दावा लंबित नहीं है अतः इस मामले को संस्तुति सहित जिला वन अधिकार समिति को भेजना उचित है। अन्त में बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद किया गया

उप-मंडलाधिकारी, (ना0),
रामपुर बुशहर जिला शिमला हि0प्र0,

पृष्ठांकन संख्या आर0एम0पी0/एस0डी0के0/2020- 674 दिनांक 31-8-2020.

प्रतिलिपि :-

1. उपायुक्त महोदय शिमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. सम्बंधित अधिकारी /कर्मचारी तथा गैर सरकारी सदस्यों को प्रेषित

उप-मंडलाधिकारी (ना0),
रामपुर बुशहर जिला शिमला हि0प्र0

7c.

वन अधिकार की प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम
 वन अधिकार समिति
 ग्राम का नाम परास
 प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति का नाम परास

प्रस्ताव संख्या 02

दिनांक 03-1-2019

वन अधिकार समिति द्वारा वन को परास की वन अधिकार समिति 03-1-2019 को परास में श्री/श्रीमति राजेन्द्र सिंह ग्राम के अनुसूचित जनजाति की अध्यक्षता में की गई प्रस्तावों और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मन्त्रालय अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत परास जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें वन विभाग द्वारा परास के अन्तर्गत परास निवासियों के लिए परास वन भूमि से उपयोग की जाती प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त ग्रामवासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर ध्यान की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत प्रस्तावों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र.सं.	* पात्र ग्रामवासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्योरा
1.	<u>परास</u>	<u>परास</u>	<u>00-0934</u>
2.	<u>परास</u>	<u>परास</u>	

तदनुसार वन अधिकारों को निरस्त करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

अतः वन अधिकारों से निम्न लिखित पात्रों का दावा निरस्त करने की सिफारिश की जाती है।

क्र.सं.	* पात्र ग्रामवासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्योरा
1.	<u>परास</u>	<u>परास</u>	<u>00-0934</u>
2.	<u>परास</u>	<u>परास</u>	

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान परास
 दिनांक 03-01-2019

अधीक्षक जंगल विभाग
 ग्राम सभा
 वन अधिकार समिति द्वारा

* ग्रामवासी/ग्रामवासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।
 ** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है

गाम सभा प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 03-01-2019

गाम सभा प्रतिनिधि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 02

दिनांक 03-01-2019

गाम सभा 42115/ की बैठक आज दिनांक 03-01-2019 को 11 बजे
 जहाँ स्थान 42115/ में श्री/श्रीमति 42115/ की अध्यक्षता में
 की गई जिसमें 42115/ गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत
 वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत 42115/ जंगल/वन
 क्षेत्र में जिनमें 42115/ विभाग द्वारा 42115/ के निवास के लिए 00-0934 वन
 भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए यह है। इस गाम सभा की वन अधिकार समिति की
 सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ
 प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस गाम सभा द्वारा निम्न लिखित पत्रों का
 दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र.सं.	* गांव गाम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1.	मोमति कुंवर देवी देवी	42115/	00-09-34
2.	लायु (पुत्री) पद्मा	42115/	00-09-34

उपरोक्त वन गाम सभा इस दावा/इन दावों का पारित करते हुए इसे उन खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।
 उपरोक्त ने से निम्न लिखित पत्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्र.सं. * गांव गाम वासी का नाम

1.

2.

उपरोक्त गाम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।
 या

इस गाम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन
 अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान 42115/

दिनांक 03-01-2019

अधीकृत हस्ताक्षर

गाम सभा

वन अधिकार समिति परगना

* गामवासी/गाम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे (हिउप्र०)
 आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (अनुसूचित) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के
 उपयोग की अनुमति दी जानी है।

गाम सभा

गाम सभा

तह० रामपुर जिला 12115/ 116034

जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की गारंटी) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा रुखी
विकास खण्ड रामपुर जिला बिहार (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 27-01-2019

गणपूर्ति 135 / 560

प्रस्ताव संख्या 14

विषय: जनजाति कनेक्शन के लिए वन भूमि विभाग/संस्था को रुखी
के निर्माण हेतु रुखी
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 60-09-34 HA हैक्टर वन भूमि के
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा रुखी की बैठक/आपन दिनांक 27-1-2019
स्थान रुखी विभाग/संस्था को रुखी
के निर्माण हेतु 60-09-34 HA हैक्टर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

उनी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की गारंटी) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सभी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 60-09-34 हैक्टर वन भूमि को रुखी के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा रुखी की सहमति दी जाती है।

स्थान रुखी
दिनांक 27-01-2019

अध्यक्ष/हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा

प्रमाण

सचिव

वि0प्र0 रामपुर जिला हि0प्र0

जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की गारंटी) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा रुखी
विकास खण्ड रामपुर जिला बिहार (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 27-01-2019

गणपूर्ति 135 / 560

प्रस्ताव संख्या 14

विषय: जनजाति कनेक्शन के लिए वन भूमि विभाग/संस्था को रुखी
के निर्माण हेतु रुखी
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 60-09-34 HA हैक्टर वन भूमि के
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा रुखी की बैठक/आपन दिनांक 27-1-2019
स्थान रुखी विभाग/संस्था को रुखी
के निर्माण हेतु 60-09-34 HA हैक्टर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

उनी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सन्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की गारंटी) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सन्मति से यह पारित किया गया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सभी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 60-09-34 हैक्टर वन भूमि को रुखी के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा रुखी की सहमति दी जाती है।

स्थान रुखी
दिनांक 27-01-2019

अध्यक्ष/हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा

प्रमाण

सचिव

वि0प्र0 रामपुर जिला हि0प्र0

कार्यवाही रजिस्टर

विकास खण्ड

जिला

(हि.प्र.)

क्र.सं.	उपस्थित सदस्यों का नाम	निष्पादित कार्य का विवरण	प्रधान एवं सदस्यों के हस्ताक्षर
2		3	4
		कि गोव पशुधन के एपेन मैराल लगाने पर कोई कापसी नहीं है। उत्पादक संप्रदाय से प्राप्त है। प्रमाण-15: सीमा से नैगल डेवी कुंभार लघु पशुधन डाय गोव पशुधन से वन भूमि 2-15-32 पर एपेन मैराल निर्माण के लिए जमीनपट्टीकरण डेन कोट। कैड में उपरोक्त विषय पर निम्नलिखित प्रतिक्रिया को गई है कि गोव पशुधन के वन भूमि 2-15-32 पर सीमा से नैगल डेवी कुंभार लघु पशुधन डाय गोव पशुधन से वन जाना प्रमाणित हो गुरुत्वा में निर्णय लिया गया है कि गोव पशुधन के एपेन मैराल लगाने पर कोई कापसी नहीं है। उत्पादक संप्रदाय से प्राप्त है।	
	प्रमाण-16: -0 परिवार स्थाने कलंग कसे कोट:-		

कैड के अधिकाधिक सदस्य डाय स्थाने कलंग कसे कोट निर्माण पर गुरुत्वा में निर्णय लिए गए जो संप्रदाय से प्राप्त है।
कैड के अधिकाधिक सदस्य डाय स्थाने कलंग कसे कोट निर्माण पर गुरुत्वा में निर्णय लिए गए जो संप्रदाय से प्राप्त है।

- क्रम क्र. सदस्य
1. कुलदीप सिंह
 2. गोवधन दास
 3. कुंभार डेवी
 4. डेवी राम
 5. रामेश्वर सिंह
 6. सत्यदास
 7. कुंभार लाल
 8. दिव्य लाल
 9. लाल राम

- सदस्य/अध्यक्ष/उपस्थित सदस्य
1. रामेश्वर सिंह
 2. रामेश्वर सिंह
 3. रामेश्वर सिंह
 4. रामेश्वर सिंह
 5. रामेश्वर सिंह
 6. रामेश्वर सिंह
 7. रामेश्वर सिंह
 8. रामेश्वर सिंह
 9. रामेश्वर सिंह

मुख्य अधिकारी
विकास खण्ड राकोली
जिला मियाणा (हि.प्र.)

041

कार्यवाही रजिस्टर

विकास खण्ड

जिला

(हि.प्र.)

उपस्थित सदस्यों का नाम	निष्पादित कार्य का विवरण	प्रधान एवं सदस्यों के हस्ताक्षर
2	3	4
प्रस्ताव नं-12:-	बुढापा, विधवा तथा अंधा पैंगन लगाने के लिए महोदय जी ने यह प्रस्ताव समिति में लाया गया है कि पात्र 0.5 अक्षरों को बुढापा, विधवा तथा अंधा पैंगन लगाने के लिए आति आवश्यक है कि अंग्रेजी में निम्न लिखित पात्र 0.5 अक्षरों को बुढापा, विधवा तथा अंधा पैंगन पैंगन लगाने के लिए चयनित किया गया है। निम्न प्रकार से है।	
संख्या नाम पिता/पति	उम्र	पैंगन की रकम
1) श्रीमती लक्ष्मी देवी श्री. रामलाल	रानी	बुढापा
2) श्रीमान दास श्री. काल राम	शरणाग्रित/प्राणी	बुढापा
3) श्री दुर्गा देवी श्री. राम	अंधा	बुढापा

- 4) श्रीमती उमा देवी श्री. सुनाराम करी रानी विधवा
- 5) श्री वृणाराम श्री. अरुणलाल रानी बुढापा
- 6) श्री सुपुषि देवी श्री. रमेश दास रानी बुढापा

जहाँ प्रस्ताव के माध्यम से
श्रीमान वहीलाल कल्याण अधिकारी रामपुर से अंग्रेजी का
कमरे में डाली है कि विधवा सदस्यों को लाभ
पैंगन लगाने की हवा देता प्रस्ताव पारित है।
प्रस्ताव नं-13:- अंग्रेजी का चयन

महोदय जी ने लोगों के साथ विचार-विमर्श करके
प्रस्ताव पारित है।

प्रस्ताव नं-14:- श्रीमती कनेगल देवी बुढापा लघु विभाग द्वारा जो व पत्रिका
में वन भूमि 00-09-34 डेम्बर पर स्थित जैशर का निर्माण है अंग्रेजी
पत्रिका पर।

जहाँ से विधवा विभाग की विस्तारपूर्वक
चर्चा की गई गीन पत्रिका में वन भूमि 00-09-34 डेम्बर पर
श्रीमती कनेगल देवी बुढापा लघु विभाग द्वारा स्थित जैशर का
चर्चा चर्चा है - चर्चा उपरोक्त यह निर्णय लिया गया है।

उपस्थित सदस्यों का नाम

2

सभा केन्द्र में स्थित स्कूलों में रिकॉर्ड जिले में
रखा वही, रखा वही, रखा रखा वही वही वही -
आवेदन दिये जाते हैं कि जो भी रखा वही में कोई काम
नहीं हो रहा है। हमें निम्न प्रकार से है चिनका
साक्षात्कार करके कि जा गया। कोरक/अवधि

कोरक स्कूल का नाम

कोरक/अवधि

① राजकीय प्राथमिक पाठशाला सनावली	1-10-18 से 01-12-18
② राजकीय प्राथमिक पाठशाला केरी	1-10-18 से 01-12-18
③ राजकीय प्राथमिक पाठशाला कोरक	1-10-18 से 01-12-18
④ राजकीय प्राथमिक पाठशाला पम्मा	1-10-18 से 01-12-18
⑤ राजकीय प्राथमिक पाठशाला जेठ	1-10-18 से 01-12-18
⑥ राजकीय प्राथमिक पाठशाला खेवा	1-10-18 से 01-12-18
⑦ राजकीय प्राथमिक पाठशाला जेठ	1-10-18 से 01-12-18

⑧ राजकीय प्राथमिक पाठशाला पम्मा	1-10-18 से 01-12-18
⑨ राजकीय प्राथमिक पाठशाला जेठ	1-10-18 से 01-12-18
⑩ राजकीय प्राथमिक पाठशाला खेवा	1-10-18 से 01-12-18

उपरोक्त स्कूलों का साक्षात्कार
कोरक/अवधि से जाति. विभा गया अवधि
जाति है।

पुलाव नं 10. - 2 भागों की वितरण की मुजरी दल पात्र व्यक्तियों
का चयन करें: - 0

आम सभा केन्द्र में अधिकाधिक नौकर
जो ने यह प्रभाव आम सभा में लाया गया है कि
केन्द्र में 2 भागों की वितरण की मुजरी दल आवेदन
पत्र-पत्रावलि दिए गए। आम सभा केन्द्र में सर्वसम्मति से
आवेदन पत्र जाति दिए गए। हमें निम्न प्रकार से है।
का नाम दिलापति

① श्री देवादेव क. गौरी	गौरी
② श्री मोहन सिंह क. जान दास	पम्मा
③ श्री दाम देवदास क. सावित्रराम	जेठ
④ श्री भूपेन्द्र शर्मा क. उताप चंड	खेवा
⑤ श्री सुरेश शर्मा क. उताप चंड	जेठ

कार्यवाही रजिस्टर

037

17D

विकास खण्ड

जिला

(दि० प्र०)

पंचायत सदस्यों का नाम

नियमित कार्य का विवरण

पंचायत एवं सदस्यों के हस्ताक्षर

2

3

4

- ① श्री हनुमान चंद का. लोचन-नर
- ② श्री मनहर लाल का. फिरोजपुर
- ③ श्री राजेंद्र सिंह का. बानुराव
- ④ श्री लक्ष्मण चंद का. लोचनराव
- ⑤ श्री परमेश्वर दास का. डेवरदास
- ⑥ श्रीमति विमला देवी का. उज्जैन सिंह
- ⑦ श्री रत्नराव का. डेवरदास
- ⑧ श्री विमलेश लाल का. लुण्डा चंद राव
- ⑨ श्रीमति कमला देवी का. बानुराव
- ⑩ श्रीमति मेगल देवी का. रात सिंह
- ⑪ श्री जयदेव कुमाल का. भुल राज

कोटा जिला के गांधीपुर के

श्रीमान वन दूधर लोचनपुरी बानुराव से गुरु लाल
भानुपुरी माली हैं कि उपरोक्त पात्र अभिलेखों को
इजाजती लफ्फी देकर मजदूरी उठाते हूँ को जथा
होता प्रस्ताव पारित हो।

प्रस्ताव १-11-

जलाशय परिमोजन के अन्तर्गत विकास कार्य में
मजदूरी कमेटी बनाने को वन मजदूर बांधे कले कले

कोटा के मजदूर मजदूर

जो मैं यह प्रस्ताव अमल में लाया गया है कि जलाशय
परिमोजन के अन्तर्गत यदि कुछ फिट जोज है जिले
लिख यदि कमेटी में गहन विचार और तथा कार्यवाही की
जावे दिया जावे हवाई किता उमाल दे।

कोटा, यदि को नाम मजदूर के फल

- ① श्री जाल चंद उषा का. मजदूर
- ② श्री तापन चंद उषा का. मजदूर
- ③ श्री मंगल चंद नरिंदर चंद मजदूर
- ④ श्रीमति हनुमा देवी मजदूर मजदूर

मजदूर श्री मंगल चंद नरिंदर चंद को माली कि मजदूर प्रस्ताव पारित हो

17

मौजिदा को विनाशपूर्वक रूप से मारा गया। कुछ जमीन
डिग्न मोचनी के वहाँ सभी पास 8 मजदूरों को
स्वास्थ्य काट बनाए जाते हैं जिनमें 5,00,000
लाख का नई मुक्ति रेलिंग कल्पनाए जाय कि मा
प्राणों एक वर्ष के इस परिवार में 5 लड़कियाँ
को 5,00,000 लाख नई का (मुक्ति रेलिंग जलाने
जाय कि मा प्राणों इसलिये सभी लड़कियों के
बाइए डिग्न जाय है कि काल जलाने वहाँ दिया-चम
पुडल परमाए जाय चलाह जा रहे हैं इस मोचनी
के मनागते स्वास्थ्य काट बनाया जावे।

प्राप्तकर्ता :- परिवार खाता जिला सैल बाटे

गोठे नम/ केक

मु परिवार अधिकार माग 1 के परिवार खाता कलाने खुले
हले मोचनी पर जायत (इसे) गुरु जलाने के निम्नलिखित
मोचनी पर जायत (इसे)

- | क्रमांक | मोचनी का नाम | गोठ | जिले के लोग |
|---------|----------------------------|--------|---------------|
| 1 | रिबीराक के फिट्टू राम | जिला | पुनम उमा |
| 2 | डिना नाम के हरि नर | मोचनी | अनिल सुन्दर |
| 3 | मोहर लाल के माह | खेनरी | रोमान लाल |
| 4 | जाल चउ के चमडी | जगो चो | तिलक राम |
| 5 | हलाचन के चौकनडा | हलौरा | वसुधा सुभा |
| 6 | सुनि न के के कलर के करमा | | 1 राजेश कुमार |
| 7 | रमेश कुमार के परमानंद लाल | | 2 रोहन कुमार |
| 8 | सुनि उमा के सुनि मोह खनाली | | |
| 9 | डिपन उमा के सुनि लाल खोडी | | |

उपरोक्त परिवार खाता सिकन्दर के मलान
दि 10 गुरु प्रभाव पारित है।

प्राप्तकर्ता नं 08 :- गोठ जगो खेनरी को नगर परिषद से बाहर करे
जावे :-

किया गया है कि ग्राम सभा केक में रोष उकट
किया गया है कि ग्राम प्रभाव सिकन्दर के गोठ खेनरी

कार्यवाही रजिस्टर

विकास खण्ड

जिला

(हि.प्र.)

उपस्थित सदस्यों का नाम	निष्पादित कार्य का विवरण	पंचायत एवं सदस्यों की हस्ताक्षर
2	3	4
	जम्बोह को वर्ष 2015-16 में नगर परिषद रायपुर जिला में शामिल किया गया है। ग्राम लम्बा को विकास विभाग में लिए रखने की नया जम्बोह गौव नगर परिषद में शामिल किए गए। इस गौव के लोग जागावानी, कृषि, एवं पशुपालन का कार्य करते हैं। ये सभी गुरुवामी अपने परिवार की आजीविका इस जागावानी एवं पशुपालन से ही चलाते हैं। इसलिए गौव का रखने पर जम्बोह गौव को नगर परिषद रायपुर से ग्राम पंचायत रचौली में मिलाया जावे। गुरुवामी नगर परिषद रायपुर द्वारा लगाया जायवाना कर देने में असमर्थ है। गुरुवामी रखने जम्बोह को नगर परिषद से छिड़ने तथा पानी का नया कुँआरा लगाने हेतु जम्बोह पुराना पत्र लेने में काफी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। नया गुरुवामी रखने लाने कलियारन को	

दुर्ग को कलियारन है। 11/10/05 से रायपुर की ओर 50 कि 70 गौर के दूधरे से अन्तर गुरुवामियों को ही नगर परिषद के रखा जावे। जम्बोह को 11/10/05 से 20 कि 50 मीटर तक नगर परिषद से ग्राम पंचायत रचौली में मिलाया जावे।
कमल गुरु लम्बा जागावामी

मुख्यमंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश सरकार से अनुरोध करती है गौव जम्बोह नया रखने की नगर परिषद रायपुर से बाहर करके ग्राम पंचायत रचौली में मिलावे हेतु सम्बन्धित विभाग को आदेश गीध से गीध तक की कृषा नया प्रभाव सह सम्भारि के दारिद्र्य है।

प्रस्तावना! 9! - 10/10/05 योजना के अन्तर्गत विभिन्न-विभिन्न स्कूलों की प्राथमिक अकेलाग कसे फाटे -

ग्राम सभा केन्द्र में अध्यक्ष महोदय जी ने यह प्रस्ताव लाया गया है कि ग्राम पंचायत रचौली के अन्तर्गत विभिन्न-विभिन्न पाठशाला में 10/10/05 योजना चलाई जा रही है जिसका खासार्थिक संकेत 11-0-2018 है। अतः तब गुरुवामी केन्द्र में किया गया गुरु लम्बा केन्द्र के स्कूल से माए महोदयों ने अपने-अपने समस्त रिक्त पदों पर डिप्लोमा छात्रों

कार्यवाही रजिस्टर

...विकास स्वप्न

...जिला

..(हि.प्र.)

उपस्थित सदस्यों का नाम	निष्पादित कार्य का विवरण	प्रधान एवं सदस्यों के हस्ताक्षर
2	3	4
विमलेश्वर	प्रमोदना ड. - गुग्गुलु चूनामूल में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण	128
विमलेश्वर	गुग्गुलु चूनामूल में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण	129
विमलेश्वर	गुग्गुलु चूनामूल में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण	130
विमलेश्वर	गुग्गुलु चूनामूल में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण	131
विमलेश्वर	गुग्गुलु चूनामूल में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण	132
विमलेश्वर	गुग्गुलु चूनामूल में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण	133
विमलेश्वर	गुग्गुलु चूनामूल में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण	134
विमलेश्वर	गुग्गुलु चूनामूल में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण	135
विमलेश्वर	गुग्गुलु चूनामूल में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण	136
विमलेश्वर	गुग्गुलु चूनामूल में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण	137
विमलेश्वर	गुग्गुलु चूनामूल में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण	138
विमलेश्वर	गुग्गुलु चूनामूल में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण	139
विमलेश्वर	गुग्गुलु चूनामूल में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण	140

[illegible]

[illegible][illegible]

उपस्थित सदस्यों का नाम	निष्पादित कार्य का विवरण
2	3
काला	(15) 11/11/17
उच्च निदेशिका	(16) कि रोड पर जोड़ने का काम करी 4000
सुनीता	(16) कि एडुलोक रोड समलोकित करी 4000
काला देवी	
उषा देवी	1654039.32 CB MC 9778 1106012.32
चिना देवी राधापुत्राई (अभिजायिका)	कुले योग 10 1654039.32
Vijeta	
सुप्रभा	
Chander	उपस्थित आय-जय नारा
गीता गुप्ता	हमारे सदस्यता के जारी किया गया!
पुष्पा	प्रमाणित: उ: प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना।
Blumsthumam	
च-51	ग्राम सभा बैठक में

हसीता देवी	उपस्थित विषय पर विनास्पृष्टि चर्चा की गई। अधिसूचना
सुप्रभा	अधिसूचना की न कदा गया है कि आज लंका काय
शकुन्तला देवी	प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना चलाए जा रही है
Chander Prakash	नए मोडल कृषि विभाग से सम्बन्धित है। समाधि
Chander Prakash	सदस्यता के आगुह किया जाता है
Yashpal	कि आपनी कृषि विभाग के जाकर अपनी
कमला देवी	कृषि की काम करना है प्रमाणित पारित है)
CAFER Prakash	
देवदूती	प्रमाणित न! क! - स्वच्छ भारत मिशन को चर्चा!
हसीता देवी	
सुप्रभा	कैरु के उपस्थित विषय पर
मानविक	विनास्पृष्टि चर्चा की गई। अधिसूचना
Shyam Chandra	अधिसूचना के अधिनियम की न
राजेश्वरी	कदा गया है कि यह योजना लंका स्वच्छ योजना
हसीता देवी	है। फेर फार की स्वच्छता के बहुत सारे रह
नन्द लाल	छा गई है। अधिसूचना अधिसूचना की न
काला देवी	आह है कि न कि न सुने के बीच किमा जाय चर्चा
Anita	न ही सुने के बीच - किर रंदादि उल्ला जोर
Hemlata	प्रमाणित पारित है
मानविक	

उपस्थिति सचर्यों का नाम	निष्पादित कार्य का विवरण	प्रश्न तथा अन्य सचर्यों का उत्तर
2	3	4
जम्मोव ना - 11	राजकीय प्रामाणिक पाठशाला कच्ची रचौली जम्मोव नाया राजकीय वाईट्ट माहमाकि पाठशाला रचौली माहवाय मार्व मायक्रम का. जम्मोजि कुडैका/ करी कर	
	राज लक्ष्मी केन्द्र में उद्घोषित विषय पर विमर्शपूर्ण चर्चा करा गई। न्या उद्योग रङ्गलें से निष्ठाप्रमाण गाए। गाँव जमा के समस्त माहवाय मार्व कायक्रम के समस्त रजिस्टर जैसे, रङ्गलें रजिस्टर, रङ्गलें वही, माहमा रजिस्टर, रङ्गलें और नाया माहवाय मार्व मायक्रम है बाटे मे भई विमर्शपूर्ण गुरु जमा मे उपस्थित सबसे बड़ी जनसभा मध्याह्न गुरु जमा के राजकीय वाईट्ट माहमाकि पाठशाला रचौली सहित राजकीय जम्मोजि पाठशाला, रचौली कच्ची जम्मोव को समस्त रजिस्टर पूरा पाए। न्या गुरु जमा पूर्ण रूप से उपस्थित। रङ्गलें के रजिस्टर पर करे निष्ठा जमाध करके	

[illegible]

7K
(दि. १०)

U33

परीकृत नाम	उपस्थिति सदस्यों का नाम	निष्पादित कार्य का विवरण	प्रदान कथा अन्य सदस्यों को हस्ताक्षर
1	2	3	4
		गोडा पत्रिका केन्द्र में उपस्थित विषय पर विचार-विमर्श किया गया कथ गया है कि गोवा पत्रिका में स्वस्थता न उदा/ उदा/1/1 494/488/33/12/1/ 13/14/18/113/21 और 22 में कुठारे लक्ष उद्योग नाग को रखने केसर चला रहा है गोवा पर-लु के काज कल रखने केसर कल पत्रिका को एक सजा केन्द्र में कुठारे लक्ष उद्योग जाये केसर रखने केसर चला रहे कुठारे पत्रिका को एक सजा किया गया जिसके एक सजा में लक्ष उपस्थित सदस्यों से विचार-विमर्श करने के उपरांत एक सजा जाय गोवा पत्रिका के के कुठारे लक्ष उद्योग जाये केसर को आ-पत्र रखे रखने केसर पर केसर आपत्ति जाधे नवी को गोवा पत्रिका में रखने केसर लक्ष कुठारे लक्ष उद्योग चला रहे एक सजा जाय आपत्ति पत्रिका पर आपत्ति किया जाया है मुक्तिक लक्ष आपत्ति से जाये है	

उत्पादन - 14 - मेष 5/24 वृषा मृगशिरा मह के कार्य
आजना पारित करे जाए

गण सभा केन्द्र में इस विषय पर विचार-विमर्श किया गया। परिणत हुआ कि राष्ट्रीय विकास परिषद् के लिखित नोट्स में लीज्ड जे. एच. एम. मानदार्थ मद की मौल्य अनुसन्धा लाभ प्राप्त करने योगी हुई है। गुण सभा से निम्न कार्य का चयन सर्वसम्मति से किया गया।

501. DCP

क्र.सं.	कार्य का नाम	विद्यमान राशि
(1)	सुरक्षित बैंड रोपड़ से दरभार	2,00,000 = ₹
(2)	सुरक्षित बैंड सरला डोंग में जख्माद	2,00,000 = ₹
(3)	नि. प्रो. पं. रा. रा. गौ. प. 25/1/57	2,00,000 = ₹

mmGLT

① नि. लिंक रोड आ-तल से रु० 2,00,000/-
② नि. पंचक शान्ता रन्वीली से डेरी बौल 2,00,000/-

उपरोक्त कार्य योजना मुक्त
समय है जबकि हमारे विचारों को भी जोड़ना पड़ेगा
होना चाहिए। विकास अधिकारी विकास कार्य
को सुचारु रूप से चलाएंगे।

सुविधा

17/08/2022

ग्राम पञ्चायत

(वि.प्र.)

[illegible]

घायल का नाम और वर्ष	उपस्थित सदस्यों का नाम	निर्धारित कार्य का विवरण	प्रधान तथा अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर
	2	3	4
प्रमाणित नं. 15		एक गांव गिरानी कापटवट वीमर खेल डिमा गांव रचाली को जिनपाति उभाण पत्र जारी करे गए	97 सुनीता 98 B. B. B. 99 का. 10-11 100 जिनमी 101 जिनमी 102 गीता 103 री. कु. न. खोदी 104 श्री. देवी 105 106 107 108 109 110 गीता 111 112 113
प्रमाणित नं. 16		अभी सुनील के. वी. के. गांव रचाली को जिनपाति उभाण पत्र जारी करे गए	114 आशा. नेगी 115 सुनीता 116 का. 10-11 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
प्रमाणित नं. 17		एक गांव गिरानी कापटवट वीमर खेल डिमा गांव रचाली को जिनपाति उभाण पत्र जारी करे गए	

20145-302387
145-391

पंचायत का नाम.

..विकास स्वण्ड.

...जिल्हा

संख्या	उपस्थिति सदस्यों का नाम	निष्ठादिन कार्य का विवरण	प्रधान तथा अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	
		कृष्ण नाथ सिताधरी गाँव जिन केमदीनि	138
①	शुभ लाला देवी पं० प्रताप चंद	पं० आनंद 70 वर्ष	139
②	कृष्णा पं० सुभाष चंद	पं० आनंद 70 वर्ष	140
③	मुनि सिंह पं० पद्म दास कर्मा	पं० आनंद 70 वर्ष	141
④	विश्व रत्न पं० सुभाष चंद	पं० आनंद 70 वर्ष	142
⑤	मुनी देवी पं० विश्व रत्न कर्मा	पं० आनंद 70 वर्ष	143
⑥	काँच देवी पं० शिव सिंह	पं० आनंद 70 वर्ष	144
⑦	पं० आनंद कर्मा	पं० आनंद 70 वर्ष	145
⑧	कल्याण देवी पं० शिव सिंह	पं० आनंद 70 वर्ष	146
⑨	कल्याण देवी पं० कल्याण	पं० आनंद 70 वर्ष	147

अब प्रस्ताव के माध्यम से शीघ्र ही हमारे कल्याण का पक्की रास्ता से गुजरना, अर्थात् 32वीं ई डि 34 परम पक्ष हमारे पक्ष की पुराने लाला की वजह से प्रस्ताव हमारे पक्ष में पारित है।

उत्पाद नष्ट है - गुप्त पैचासत रूखों की विभिन्न-विभिन्न
सड़कों निम्नीय के लिए राशि खोना के लिए
विषय पर विज्ञापन के चर्चा की गई। चर्चा
उपलब्ध प्राप्ति हुआ है कि गुप्त पैचासत रूखों
के निम्नीय कुछ गैर ऐसे हैं जो सड़कों से
जुड़े नहीं हैं इसलिए लोगों की सुविधा के
लिए गुप्त पैचासत रूखों की विभिन्न-विभिन्न
के लिए राशि खोना ने अपनी कारिदासों
है नाकि सड़कों का काम दिया जा सके।
हमारा निम्नीय प्रकार है।

20000 काम का नाम अनुमानित राशि

(1) नि: लिंक रोड से-तल्लू से जुड़ना	5,00,000=
(2) नि: लिंक रोड से पट्ट से करमल	3,00,000=
(3) नि: लिंक रोड हलांग से नापली	5,00,000=
(4) नि: लिंक से डलगाड से सरला डोंग	2,00,000=

अतः अलग से माध्यम से जानकारी मुद्रमन्त्री मुद्रम डिपार्टमेंट से सरकार के पंचायत अनुदान से है। इसके काम के लिए राशि खर्च करने की व्यवस्था अलग से विचारित है।

कार्यवाही रजिस्टर

66

बुद्धर सिंह पत्र, उपाय मंडित दूरभाष - 233226, 24185 71324

व्यक्ति का नाम वि.सि.सी. विकास खण्ड राजपुरा रोड जिला शिवपुरा (हि.प्र.)

संख्या क्रम	उपस्थित सदस्यों का नाम	निष्पादित कार्य का विवरण	प्रधान तथा अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर
1	मोहन लाल	16-01-2018 को ग्राम पंचायत की बैठक में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष मोहन लाल की अध्यक्षता में ग्राम होकर निम्न निम्नलिखित कार्यवाही सम्पन्न में लाई गई।	वि.सि.सी.
2	Ramchar		
3	मोहन लाल		
4	मोहन लाल		
5	मोहन लाल		
6	मोहन लाल		
7	मोहन लाल		
8	मोहन लाल		
9	मोहन लाल		
10	मोहन लाल		
11	मोहन लाल		
12	मोहन लाल		
13	मोहन लाल		
14	मोहन लाल		
15	मोहन लाल		
16	मोहन लाल		

1	Vishal Singh	के सम्बन्ध रखा गया। ग्राम-पंचायत का हवाई	35	मोहन लाल
2	मोहन लाल	ग्राम-पंचायत में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष मोहन लाल की अध्यक्षता में ग्राम होकर निम्न निम्नलिखित कार्यवाही सम्पन्न में लाई गई।	36	मोहन लाल
3	मोहन लाल		37	मोहन लाल
4	मोहन लाल		38	मोहन लाल
5	मोहन लाल		39	मोहन लाल
6	मोहन लाल		40	मोहन लाल
7	मोहन लाल		41	मोहन लाल
8	मोहन लाल		42	मोहन लाल
9	मोहन लाल		43	मोहन लाल
10	मोहन लाल		44	मोहन लाल
11	मोहन लाल		45	मोहन लाल
12	मोहन लाल		46	मोहन लाल
13	मोहन लाल		47	मोहन लाल
14	मोहन लाल		48	मोहन लाल
15	मोहन लाल		49	मोहन लाल
16	मोहन लाल		50	मोहन लाल

पंचायत का नाम,

...विकास स्वण्ड.

जिला

(हि० प्र०)

प्रतिष्ठान नाम और वर्ष	उपस्थित सदस्यों का नाम	निष्ठावित्त कार्य का विवरण	प्रधान तथा अन्य सदस्यों को हस्ताक्षर
1	2	3	4
		12. मेमबेरी फिलोसोफी कक्षा/ = 3/100	56 10/10/10
		13. गुरुवार पत्रिका = 6000	57 10/10/10
		14. मित्रों की सावधि निष्ठा = 15300	58 10/10/10
		15. लाली के साथ = 10000	59 10/10/10
		(16) निष्ठा के साथ = 76642	60 10/10/10
		(17) निष्ठा के साथ = 2588	61 10/10/10
		(18) = 1175471.72	62 10/10/10
		20/10/10 20/10/10 72.	63 10/10/10
		(19) उपस्थित कार्य के साथ	64 10/10/10
		उपस्थित कार्य के साथ	65 10/10/10
		उपस्थित कार्य के साथ	66 10/10/10
		उपस्थित कार्य के साथ	67 10/10/10
		उपस्थित कार्य के साथ	68 10/10/10
		उपस्थित कार्य के साथ	69 10/10/10
		उपस्थित कार्य के साथ	70 10/10/10
		उपस्थित कार्य के साथ	71 10/10/10
		उपस्थित कार्य के साथ	72 10/10/10
		उपस्थित कार्य के साथ	73 10/10/10

	महोदय जी मैं शुभ ईश्वर भक्तों से वन रहे विकास	75	Rajendra D. W. W.
	माय को विनाशपूर्वक सभ्यता विनाश	76	Shilpa
	महोदय जी मैं सभ्यता सभ्यता सुनना गंगा नदी	77	Baas
	कहा गया है कि सभ्यता सभ्यता सुन ईश्वर भक्त	78	Shilpa
	सभ्यता विकास विकास सभ्यता सुन ईश्वर भक्त	79	Shilpa
	सभ्यता विकास विकास सभ्यता सुन ईश्वर भक्त	80	Shilpa
	सभ्यता विकास विकास सभ्यता सुन ईश्वर भक्त	81	Shilpa
	सभ्यता विकास विकास सभ्यता सुन ईश्वर भक्त	82	Shilpa
	सभ्यता विकास विकास सभ्यता सुन ईश्वर भक्त	83	Shilpa
	सभ्यता विकास विकास सभ्यता सुन ईश्वर भक्त	84	Shilpa
	सभ्यता विकास विकास सभ्यता सुन ईश्वर भक्त	85	Shilpa
	सभ्यता विकास विकास सभ्यता सुन ईश्वर भक्त	86	Shilpa
	सभ्यता विकास विकास सभ्यता सुन ईश्वर भक्त	87	Shilpa
	सभ्यता विकास विकास सभ्यता सुन ईश्वर भक्त	88	Shilpa
	सभ्यता विकास विकास सभ्यता सुन ईश्वर भक्त	89	Shilpa
	सभ्यता विकास विकास सभ्यता सुन ईश्वर भक्त	90	Shilpa
	सभ्यता विकास विकास सभ्यता सुन ईश्वर भक्त	91	Shilpa
	सभ्यता विकास विकास सभ्यता सुन ईश्वर भक्त	92	Shilpa
	सभ्यता विकास विकास सभ्यता सुन ईश्वर भक्त	93	Shilpa
	सभ्यता विकास विकास सभ्यता सुन ईश्वर भक्त	94	Shilpa
	सभ्यता विकास विकास सभ्यता सुन ईश्वर भक्त	95	Shilpa
	सभ्यता विकास विकास सभ्यता सुन ईश्वर भक्त	96	Shilpa